न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

.सं. 163/2021
ीसीएमएस : 2021/350

अश्वनी कुमार गोयल उर्फ अश्वनी कुमार पुत्र हेमराज जाति अग्रवाल साकिन वार्ड नं. 3 रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.। —:वादी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

—:प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त. अधि. एवं धारा 125—136 राज. भू. राज. अधि.

तारीख रजू 10.08.2024

उपस्थित अधिवक्तागण

1. श्री नरेन्द्र भादू अधिवक्ता वादी
2. राजपेरोकार सरकार

दिनांक : 20.09.2024

—: निर्णय :—

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के नाम से वाके चक 82 आरबी तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2076—2079 के नाम खाता संख्या नया 9 पुराना 4 में दर्ज अनुसार मु.नं. 78 पं.नं. 233/281 के कि.नं. 1/1 ता 23 व मु.नं. 77 पं.नं. 234/281 के कि.नं. 5/1 की कुल 3.2000 है. नहरी कृषि भूमि मय खाला राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज है। मैं वादी अपने हक एवं हिस्सा की उक्त भूमि पर लगातार काबिज साधिकार चला आ रहा हूं। व मुझ वादी को दो नामों अश्वनी कुमार गोयल व अश्वनीकुमार के नाम से जाना व पहचाना जाता है जबकि मै वादी का सही व वास्तविक नाम अश्वनी कुमार गोयल है जो मेरे आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड (आयकर विभाग) व पासपोट में मेरा नाम अश्वनी कुमार गोयल दर्ज चला आ रहा है। उक्त भूमि मुझ वादी द्वारा खरीद शुद्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में मुझ वादी के नाम से है। जिसमें वादी का नाम अश्वनीकुमार दर्ज हो गया है जबकि मुझ वादी का सही नाम व वास्तविक नाम अश्वनी कुमार गोयल है जो मेरे आधार कार्ड व पासपोर्ट व जन आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य प्रकार के दस्तावेज में अश्वनी कुमार गोयल होने के कारण उक्त भूमि बाबत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि एवं भूमि विकास संबंधी दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित हो रहा हूँ तथा मुझ वादी के विधिक अधिकारों का हनन हो रहा है इसलिए मै वादी जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अश्वनी कुमार गोयल दर्ज करवाकर संशोधन करवाना चाहता हूँ जिसका में वादी विधिक तौर से अधिकारी हूँ। उपरोक्त दुरूस्ती होने से मैं वादी अपने हक एंव अधिकारों के तहत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दी जा रही राहत राशि व अन्य सुविधाऐं प्राप्त कर अपनी उक्त भूमि को ओर ज्यादा विकसित कर सकूंगा व उत्पादन आदि को बढा सकूंगा, जिससें राजस्व व सरकार आय में भी बढोतरी होगी इसलिए न्यायहित में उक्त दुरूस्ती का किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अन्यथा मुझ वादी के विधिक अधिकारों का हनन होगा व ना पूरा होने वाला नुकशान होगा। में वादी अपने हक एवं अधिकारों से भी प्रभावित होउगा। मुझ वादी द्वारा उक्त कदर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती/संशोधन किये जाने हेत हेतु श्रीमान् तहसीलदार रायसिंहनगर के पास जाकर दिनांक 28.07.2024 को निवेदन किया तो उन्होने दुरूस्ती करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। कहा कि माननीय न्यायालय के आदेश से दुरूस्ती सम्भव है यही तारीख पैदा होने विनाए दावा बिनाये मुखास्मत है इसलिए दावा पेश कर रहे है। वाद वादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार [illegible] अन्दर मियाद पेश है। अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि [illegible] का खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जाये [illegible] 82 आरबी [illegible] रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2076—2079 के खाता संख्या नया 9 पुराना 4 में [illegible] 78 पं.नं. 233/281 के कि.नं. 1/1 ता 23 व मु.नं. 77 पं.नं. [illegible] कि.नं. 5/1 की कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:54:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

3.2000 है. हैक्टर नहरी कृषि भूमि मय खाला राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज है जिसमें मुझ वादी का नाम अश्वनीकुमार के स्थान पर अश्वनी कुमार गोयल दर्ज करने की डिक्री पारित की जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर से पत्र क्रमांक 740 दिनांक 11.08.2021 मौका रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया। दिनांक 28.06.2022 सरकार की तरफ राजपेशकार ने जवाब सरकार पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ. /2021/1686 दिनांक 15.09.2021 से अवगत करवाया कि मुताबिक जमाबन्दी के चक 82 आरबी के खाता संख्या 9 का मु.नं. 77,78 का 3.200 है. नहरी भूमि अश्वनी कुमार पुत्र हेमराज जाति अग्रवाल साकिन रायसिंहनगर रहन एस.बी.आई. शाखा रायसिंहनगर के नाम खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि का किसी भी न्यायालय में वाद/स्थगन नहीं है। प्रार्थी के द्वारा राजस्व रिकार्ड का कोई भी दस्तावेज अश्वनी कुमार गोयल पुत्र हेमराज गोयल के नाम का प्रस्तुत नहीं किया है। जिससें नाम परिवर्तन किया जा सके। प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड मे अवश्नी कुमार गोयल पुत्र हेमराज गोयल करवाना चाहता हैं

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 82 आरबी बी तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2076–2079 के खाता संख्या नया 9 पुराना 4 में दर्ज अनुसार मु.नं. 78 पं.नं. 233/281 के कि.नं. 1/1 ता 23 व मु.नं. 77 पं.नं. 234/281 के कि.नं. 5/1 की कुल 3.2000 है. हैक्टर नहरी कृषि भूमि मे अश्वनीकुमार लिखा हुआ है को दुरूस्त किया जाकर अश्वनी कुमार गोयल अंकित किए जाने की डिक्री पारित की जावें। वादी ने वाद पत्र में व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड (आयकर विभाग) व पासपोट इत्यादि में मेरा नाम अश्वनी कुमार गोयल दर्ज चला आ रहा है। अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात के आधार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 125–136 राज. भू. राज. अधि. स्वीकार किया जाकर चक 82 आरबी बी तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2076–2079 के खाता संख्या नया 9 पुराना 4 में दर्ज अनुसार मु.नं. 78 पं.नं. 233/281 के कि.नं. 1/1 ता 23 व मु.नं. 77 पं. नं. 234/281 के कि.नं. 5/1 की कुल 3.2000 है. हैक्टर नहरी मय खाला **में अंकित नाम अश्वनीकुमार पुत्र हेमराज के स्थान पर अश्वनी कुमार गोयल पुत्र हेमराज दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।** उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

(सुभाषचन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस
रायसिंहनगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुभाषचन्द्र)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:54:12 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner